

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2019/डी-433

जयपुर, दिनांक : 08.01.2019
०९

आदेश


मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा अपील संख्या 3892/2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 24.10.2018 की पालना में मा. अधिकरण के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन डा. देवकरण जाखड, चिकित्सा अधिकारी को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान राजकीय चिकित्सालय, मधुवन हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर में कार्यग्रहण करवाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

पि.सं.
(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा अपील संख्या 3892/2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 24.10.2018 को शीघ्र वैकेट कराये जाने की कार्यवाही करावें।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन जोधपुर/अजमेर
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर/भीलवाड़ा
5. संबंधित अधिकारी
6. कम्प्यूटर सेल
7. निजी /रक्षित पत्रावली


(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : ई/चि.अ./डी-433/2019/ 150

दिनांक : 24/01/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि मा0 राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा अपील संख्या 3892/2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 24.10.2018 को शीघ्र वैकैट कराये जाने की कार्यवाही करें।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-अजमेर/जोधपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर/भीलवाडा।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय चिकित्सालय, मधुबन हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
5. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, एटीसी (राजपत्रित) अनुभाग, मुख्यालय।
6. डॉ. देवकरण जाखड, चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, मधुबन हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करें।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।